www.vidarbhakibaat.in

Post Reg. No. RNP/NPCITY /169 /2015-2017

प्रखर... मुखर... स्वर

विदर्भ की बात

● वर्ष 17 ● अंक 144 नागपुर, गुरुवार, 20 अप्रैल 2017 ● पृष्ठ 8 ● मूल्य ₹ 2

सुप्रभात

नोएडा की कंपनी में लगी आग से 6 लोगों की मौत

नोएडा

दिल्ली से सटे नोएडा में आग का तांडव देखने को मिला है। सेक्टर-11 स्थित एक स्पोर्ट्स कंपनी में भीषण आग लग गई। आग की वजह से पूरी इमारत जलकर खाक हो गई। आग की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। हादसे में करीब आधा दर्जन लोगों के घायल होने की भी खबर है।

आग की वजह से लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। आग बुझाने में दमकल की कई गाड़ियां जुटी हुई हैं। फिलहाल अब तक आग लगने का कारण मालूम नहीं हो सका है। हालांकि प्रथम दृष्टया आग लगने की वजह शार्ट सर्किट होना बताया जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक कंपनी में 22 लोग काम कर रहे थे। कंपनी के अकाउंट सेक्शन में आग लगी हुई है। 4-5 लोग रस्सी के सहारे नीचे आ गए। आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी जो थोड़ी ही देर में पूरी बिल्डिंग में फैल गई। यह बिल्डिंग 5 मंजिल की है। एक शख्स ने जान बचाने के लिए एक 5वें फ्लोर से छलांग लगा दी, जिससे उसके रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आ गई है। घायल शख्स को सेक्टर-11 के मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। आग की चपेट में आने से एक महिला भी बुरी तरह से झुलस गई।

उत्तराखंड-हिमाचल सीमा पर बस खाई में गिरी, 44 की मौत, 10 घायल

गुम्मा

हिमाचल के चौपाल क्षेत्र के गुम्मा में उत्तराखंड की एक प्राइवेट बस 800 मीटर नीचे टौंस नदी में जा गिरी। हादसे में 46 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। 10 से ज्यादा घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है। इनमें कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है।

पुलिस के अनुसार हादसा सुबह करीब 11 बजे हुआ है। प्रारंभिक सूचना के अनुसार उत्तराखंड की एक निजी बस में 56 से ज्यादा लोग सवार थे। ताजा सूचना के अनुसार पुलिस ने अब तक नदी से 46 लोगों के शव बरामद कर लिए हैं। इनमें कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं।

त्यूणी एसओ के अनुसार प्राइवेट बस उत्तराखंड के विकासनगर (देहरादून) से त्यूणी जा रही थी मगर सुबह करीब 11 बजे अचानक गुम्मा के पास बस बेकाबू होकर टौंस नदी में जा गिरी। हादसे का पता सबसे पहले स्थानीय लोगों को चला। इसके लोगों ने पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान एक व्यक्ति ने बस से छलांग लगा दी। उसे मामूली चोटें आई हैं। कई लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। हादसे में मृतकों का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है।

विवादित ढांचा विध्वंस केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

आडवाणी, जोशी, उमा पर चलेगा मुकदमा

13 प्रमुख नेताओं के नामों का समावेश

नई दिल्ली

विवादित ढांचा विध्वंस केस में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती, सांसद विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, विष्णु हरि डालमिया, सतीश प्रधान, सीआर बंसल, आरवी वेदंती, जगदीश मुनि महाराज, बीएल शर्मा, नृत्य गोपालदास और धर्मदास के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा।

कोर्ट के आदेश के बाद मुरली मनोहर जोशी ने लालकृष्ण आडवाणी के साथ मुलाकात की है। अगर इनके खिलाफ आरोप साबित हो जाते हैं तो सभी आरोपियों को पांच साल की सजा जेल में काटनी होगी।

कोर्ट ने नेताओं के खिलाफ रायबरेली की अदालत में चल रहा मुकदमा अयोध्या प्रकरण की सुनवाई कर रही लखनऊ की अदालत में ट्रांसफर कर दिया है। साथ ही मुकदमे की रोजाना सुनवाई कर दो साल में फैसला सुनाने का भी आदेश दिया है। हालांकि कल्याण सिंह को राज्यपाल के संवैधानिक पद पर होने के कारण फिलहाल राहत मिल गई है। ये फैसला न्यायमूर्ति पीसी घोष व न्यायमूर्ति आरएफ नारिमन की पीठ ने सीबीआइ की याचिका पर सुनाया है।

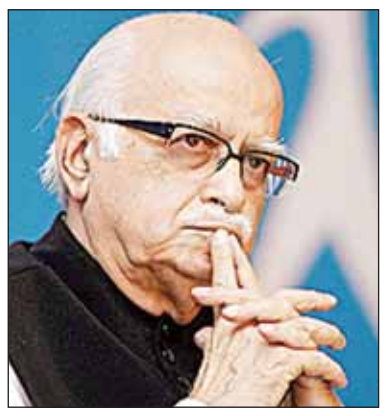

सीबीआइ ने एसएलपी दाखिल कर ढांचा ढहाने के मामले में तकनीकी आधार पर आरोपमुक्त हो गये नेताओं पर आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने की मांग की थी। सीबीआइ ने हाईकोर्ट के 20 मई 2010 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने 21 नेताओं को आरोपमुक्त कर दिया था। इनमें से आडवाणी, जोशी सहित 8 नेताओं पर रायबरेली की अदालत में मुकदमा चल रहा है लेकिन उसमें साजिश के आरोप नहीं हैं। 8 में से 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बाकी के 13 लोग पूरी तरह छूट गए थे। 13 में 4 की मृत्यु हो चुकी है व बचे लोगों में कल्याण सिंह प्रमुख हैं जो ढांचा ढहने के समय प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इस समय राजस्थान के राज्यपाल हैं।

लखनऊ की विशेष अदालत में एफआइआर नंबर 197-1992 (कारसेवकों का मुकदमा) चल रहा है, जिसमें आपराधिक साजिश के आरोप हैं।

बुधवार को कोर्ट ने सीबीआइ की अपील स्वीकार करते हुए नेताओं को आरोपमुक्त करने का हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मुकदमा स्थानांतरित होने के चार सप्ताह के भीतर लखनऊ का सेशन कोर्ट आडवाणी, जोशी व अन्य पर आइपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के अतिरिक्त आरोप तय करेगा।

जो था खुल्लम-खुल्ला था, अयोध्या, गंगा और तिरंगा के लिए सारी सजा कबूल - उमा भारती

साल 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आपराधिक साजिश के तहत मामला चलाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर उमा भारती ने संवाददाताओं से कहा, अयोध्या में भव्य राम मंदिर मेरा सपना है। भारत और राम मंदिर के लिए जेल जाने या फांसी के लिए भी तैयार हूं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि उन्हें राम जन्मभूमि अभियान में अपनी भूमिका के लिए गर्व है और इस बात को लेकर कोई अफसोस या खेद नहीं है। उमा ने कहा कि वह अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के मार्ग में कोई भी सजा भुगतने को तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण जरूर होगा और वह आज रात अयोध्या जाएंगी और रामलला का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी।

उमा भारती ने ये भी कहा कि कोई साजिश नहीं हुई। सब कुछ स्पष्ट है। मैंने राम मंदिर अभियान में गर्व और विश्वास के साथ हिस्सा लिया। मैंने तिरंगे की खातिर मुख्यमंत्री का पद त्याग दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण को साकार होता देखने के लिए जो कुछ भी जरूरी होगा, वह करूंगी। राम मंदिर का निर्माण होगा। उन्होंने यह भी कहा कि 6 दिसंबर 1992 को विवादस्पद स्थल पर वह मौजूद थीं। कांग्रेस पार्टी के बयान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर किसी आरोप का जवाब नहीं देंगी।

'आपराधिक साजिश' की बात ग़लत, सब कुछ ओपन था - विनय कटियार

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भाजपा के 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विनय कटियार ने कहा कि 'आपराधिक साजिश' से हम सहमत नहीं हैं।

कटियार ने सीबीआइ पर ही साजिश का आरोप लगाया और कहा कि हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। कटियार ने बुधवार को बातचीत में कहा, 'आधिकारिक साज़िश से हम सहमत नहीं है। सब कुछ ओपन था। सीबीआइ ने जो किया वो साज़िश है। जेल जाने के लिए तैयार हैं।

कोर्ट ने कहा कि नये सिरे से ट्रायल नहीं होगा यानि मुकदमे की सुनवाई जिस स्तर पर चल रही है उसी से आगे चलेगी। सिर्फ अभियुक्तों पर आपराधिक साजिश के अतिरिक्त आरोप तय होकर उसमें भी ट्रायल चलने लगेगा। मुकदमें का ट्रायल पूरा होने तक जज का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा कोर्ट सुनवाई में तब तक कोई स्थगन नहीं देगा जब तक कि जज को यह न लगे कि सुनवाई करना असंभव हो गया है। ऐसा होने पर जज अगली सुनवाई की नजदीक तिथि तय करेगा साथ ही सुनवाई स्थगित करने का कारण भी दर्ज करेगा। ■ शेष पृष्ठ 2 पर

मनमोहन सिंह की अगुवाई में कांग्रेस ने कश्मीर पर बनाई समिति

नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर में उपद्रवी हिंसा की लगातार गंभीर बनी स्थिति को देखते सूबे की समस्याओं के समाधान की राह तलाशने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इसे जम्मू-कश्मीर पर नीति निर्माण समूह का नाम दिया है। केन्द्र सरकार पर घाटी की बिगड़ती स्थिति को संभालने का दबाव बनाने की रणनीति के तहत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस नौ सदस्यीय समूह का गठन किया है।

कांग्रेस पिछले कुछ अर्से से घाटी में अशांति के मुद्दे को मुखर रूप से उठाते हुए केन्द्र के साथ जम्मू-कश्मीर की पीडीपी-भाजपा सरकार को सवालों के कठघरे में खड़ी करती रही है। पार्टी की ओर से राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम केन्द्र की कश्मीर नीति पर निशाना साधते रहे हैं। इसीलिए इन दोनों को भी इस समूह का सदस्य बनाया गया है।

पार्टी महासचिव जर्नादन द्विवेदी ने एक बयान जारी कर इस समूह के गठन की घोषणा की। जम्मू-कश्मीर के मामले में पार्टी दिग्गज कर्ण सिंह की खास अहमियत को

देखते हुए उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। पीडीपी छोड़कर आए प्रदेश के वरिष्ठ नेता तारिक हामिद कारा को भी समूह का सदस्य बनाया गया है। गौरतलब है कि कारा ने कुछ महीने पहले कांग्रेस में शामिल होने के वक्त पार्टी हाईकमान को कश्मीर पर एक विशेष समिति बनाने का यह सुझाव दिया था।

कश्मीर पर कांग्रेस के इन नेताओं के अलावा सूबे की प्रभारी पार्टी महासचिव अंबिका सोनी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर, विधायक दल की नेता रिगजिन जोरा और श्यामलाल शर्मा शामिल हैं। पार्टी के अनुसार यह समूह जल्द ही घाटी के हालातों का समाधान निकालने के विकल्प पर चर्चा का दौर शुरू करेगा। इसके लिए समूह कश्मीर का दौरा भी कर सकता है।

आम और खास का फर्क मिटा

1 मई से 'लाल बत्ती' की गाड़ियों पर रोक

मोदी सरकार का अहम फैसला

नई दिल्ली

वीवीआइपी कल्चर को लेकर केंद्र की मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। 1 मई से केंद्रीय मंत्री और अधिकारी लाल बत्ती नहीं लगा सकेंगे। 1 मई को मजदूर दिवस है, इसलिए सरकार यह संदेश देना चाहती है कि उसके मंत्री वीवीआइपी कल्चर से दूर रहेंगे।

कैबिनेट के निर्णय के बाद केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने अपनी कार से तुरंत ही लाल बत्ती हटा ली है। इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्त और रक्षामंत्री अरुण जेटली ने बताया कि लाल बत्ती देने के नियम को खत्म किया गया है, अब देश में कोई लालबत्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि कुछ आपात सेवाओं के लिए नीली बत्ती का इस्तेमाल होगा। पुलिस, एम्बूलेंस और फायर ब्रिगेड को नियम से छूट दी गयी है।

पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लालबत्ती का इस्तेमाल पहले ही छोड़ चुके हैं।

आमतौर पर वीआइपी रूट के दौरान पुलिस बैरिकेट्स लगा देती है, और कई जगह का ट्रैफिक रोक देती है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी दिक्कत होती है। अप्रैल की शुरुआत में एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें एक एम्बूलेंस को पुलिस ने रोक दिया था।

एम्बूलेंस में घायल बच्चे को ले जाया जा रहा था। गौरतलब है कि लंबे समय से सड़क परिवहन मंत्रालय में इस मुद्दे पर काम चल रहा था। इससे पहले पीएमओ ने इस पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई थी। पीएमओ ने पूरे मामले पर कैबिनेट सेक्रटरी सहित कई बड़े अधिकारियों से चर्चा की थी।

इसमें विकल्प दिया गया था कि संवैधानिक पदों पर बैठे 5 लोगों को ही इसके इस्तेमाल का अधिकार हो। इन पांच पदों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और लोकसभा स्पीकर शामिल हों, हालांकि पीएम ने किसी को भी रियायत न देने का फैसला किया था।

असम: साइकिल पर ले जाना पड़ा भाई का शव, सीएम ने दिए जांच के आदेश

गुवाहाटी

करीब आठ माह पहले ओडिशा के कालाहांडी में पत्नी का शव कंधे पर लेकर 10 किलोमीटर तक ले जाने वाले दाना मांझी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। कुछ ऐसी ही तस्वीर असम के माजुली में दिखी जो मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल का विधानसभा क्षेत्र है। माजुली में एक शख्स को अपने 18 वर्षीय भाई का शव साइकिल पर ले जाना पड़ा। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री सोनोवाल ने जांच के आदेश दिए हैं।

टूटी सड़क के कारण गाड़ी वालों ने किया इंकार

खबर के अनुसार, गांव की सड़क खराब होने के कारण गाड़ी वालों ने वहां जाने से इंकार कर दिया और आखिरकार मजबूर शख्स ने भाई के शव को कपड़ों में लपेटकर साइकिल पर रख लिया।

जांच के आदेश

एक स्थानीय न्यूज चैनल पर तस्वीर आने के बाद मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही राज्य के उच्च पदस्थ स्वास्थ्य अधिकारियों को मौके पर पहुंचने को भी कहा है।

आठ किमी की दूरी पर अस्पताल

युवक लखीमपुर जिले के बालिजान गांव का निवासी था, जहां से आठ किमी की दूरी पर अस्पताल है।

मृतक के भाई ने कहा कि मंगलवार को अस्पताल में उसके भाई की मौत हो गई थी और टूटी सड़क के कारण गाड़ीवालों के इंकार के बाद वह वहां से अपने भाई का शव साइकिल में बांधकर गांव के लिए निकल पड़ा। ■ शेष पृष्ठ 2 पर

माल्या को भारत लाने की हर कोशिश में जांच एजेंसियां - जेटली

नई दिल्ली

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जांच एजेंसियां विवादास्पद कारोबारी विजय माल्या का प्रत्यर्पण सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव कदम उठा रही हैं।

उल्लेखनीय है कि भारतीय बैंकों से 9000 करोड़ से अधिक का कर्ज लेकर लंदन फरार विजय माल्या को ब्रिटेन की स्काटलैंड यार्ड पुलिस ने गिरफ्तार किया था और फिर उसे बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया था। भारतीय अदालतों में भगोड़ा घोषित हो चुके माल्या को विगत मंगलवार को लंदन में भारत के फर्जीवाड़े के आरोपों के बाद प्रत्यर्पण के लिए ही गिरफ्तार किया

गया था। बाद में उसे 6,50,000 पौंड के बांड पर छोड़ दिया गया। फार्मूला वन टीम को मालिक, किंगफिशर एयरलाइंस और शराब कंपनी के 61 वर्षीय मालिक विजय माल्या को अब वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में 17 मई को पेश होना है।

केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा, 'मेरे विचार से सरकार और सभी जांच एजेंसियां माल्या के किए अपराधों के लिए उसे भारत लाने को हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि माल्या का प्रत्यर्पण ब्रिटेन की न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है।

उल्लेखनीय है कि भारत ने ब्रिटेन के साथ हुई प्रत्यर्पण संधि के चलते माल्या के लिए विगत 8 फरवरी को ही एक औपचारिक प्रत्यर्पण की अपील की हुई है।

इससे पूर्व जनवरी में इसी साल सीबीआइ कोर्ट ने माल्या के खिलाफ आइडीबीआइ के 720 करोड़ के डिफाल्टर मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया था।

अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से सीधे कर्ज ले सकेंगी राज्यों की कंपनियां

नई दिल्ली

राज्यों की ढांचागत क्षेत्र की परियोजनाओं को गति देने के लिए सरकार ने अहम फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके तहत वित्तीय रूप से मजबूत राज्यों की कंपनियां और संस्थाएं अब अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से सीधे उधार ले सकेंगी।

फिलहाल अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां आधिकारिक विकास सहायता कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और राज्य सरकारों तथा उनके अधीन सार्वजनिक उपक्रम को ही लोन दे सकती हैं। राज्यों की अन्य संस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से सीधे लोन लेने की इजाजत नहीं है,

लेकिन कैबिनेट के फैसले के बाद राज्यों की संस्थाएं भी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से सीधे उधार ले सकेंगी।

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इस संबंध में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डवलपमेंट अथॉरिटी का उदाहरण देते हुए कहा कि कैबिनेट के इस फैसले के बाद एमएमआरडीए को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी (जेआइसीए) से धनराशि उधार ले सकेगी। इस परियोजना की लागत 17,854 करोड़ रुपये है और एमएमआरडीए करीब 15,109 करोड़ रुपये लोन लेना चाहती है। हालांकि राज्यों की जो कंपनियां और संस्थाएं अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से जो धनराशि उधार लेंगी, उस पर गारंटी प्रदेश सरकार देगी तथा काउंटर गारंटी केंद्र सरकार की होगी।

उधार लेने के मामले में कुछ शर्तें लागू होंगी। मसलन जिस परियोजना के लिए धनराशि उधार ली जा रही है उसकी लागत 5,000 करोड़ रुपये से अधिक होनी चाहिए। साथ ही इस लोन पर दिए जाने वाले ब्याज और कर्ज की वापसी लोन लेने वाली संस्था को ही करनी होगी। इस फैसले से राज्यों के खजाने पर भी अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा।

उल्लेखनीय है कि कई राज्यों की एजेंसियां राष्ट्रीय महत्व की कई अहम ढांचागत परियोजनाओं को लागू कर रही हैं। केंद्र के इस फैसले के बाद राज्यों में ढांचागत क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा।